upload in H.C. web site

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञा प न

क्रमांक C/2606 / तीन–8–6/23 भाग–13 जबलपुर, दिनांक 23 मई, 2019

प्रति,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राज्य के समस्त
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राज्य के समस्त

विषय : एलटीसी/होम एलटीसी के ब्लाक वर्ष की गणना एवं एलटीसी सुविधा का लाभ कैरी फारवर्ड करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 15.6.2006 की कंडिका–9 के अनुसार एलटीसी/होम एलटीसी ब्लाक वर्ष की गणना 1.11.1999 से की जाना है । एलटीसी (भारत भ्रमण) के लिये वर्तमान में ब्लाक वर्ष 1.11.2015 से 31.10.2019 चालू है और होम एलटीसी हेतु वर्तमान ब्लाक वर्ष 1.11.2017 से 31.10.2019 चालू है। इसके पूर्व में एलटीसी (भारत भ्रमण) और होम एलटीसी के ब्लाक वर्ष समाप्त हो चुके है और उन्हें कैरी फारवर्ड भी नहीं किया जा सकता है । एलटीसी की सुविधा को कैरी फारवर्ड करने के संबंध में पूर्व में रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक बी/4916 दिनांक 30.10.15 और रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक बी/2330 दिनांक 10.10.2011 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है । इसलिये उपरोक्तानुसार ब्लाक वर्ष की गणना की जावे एवं उन्हें कैरी फारवर्ड किया जावे और यह भी लेख है कि इस संबंध में रजिस्ट्री से अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन न चाहा जावे ।

23.05.19

(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (वर्क्स एण्ड इन्फास्ट्रक्चर)

23.5.19